

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2019

विषय: मानक मदों के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

बजट प्राविधान और व्यय की आवश्यकताओं में मिसमैच सम्बन्धी समस्या के त्वरित निराकरण हेतु बजट मैनुअल में पूर्व से निर्धारित मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार संशोधन एवं नई मानक मदों को सम्मिलित करते हुए निम्नवत् ग्रुपिंग किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

ग्रुप-

- 01—वेतन
- 03—महगाई भत्ता
- 06—अन्य भत्ता

2— उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त ग्रुपिंग के फलस्वरूप आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करने पर ग्रुप के अन्तर्गत यदि मानक मदों के योग के अनुसार बजट उपलब्ध है और दावा सही है तो ऐसे बिलों का कोषागार द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, भले ही उक्त ग्रुप के अन्तर्गत किसी मानक मद में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित हो रहा हो। ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों में ऋणात्मक की स्थिति में पुनर्विनियोग की आश्यकता नहीं होगी।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या- 2.28 /09(150)/XXVII(1)/2019, तददिनांक:

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० वित्तमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव, महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्षी रोड़ देहरादून।
5. निदेशक, एन०आ०आ०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

**शासनादेश संख्या— ८२८/०९(१५०)/XXVII(1)/2019, दिनांक २५/०७/२०१९ का संलग्नक**  
**वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुमन्य मानक मदों की सूची**

संबंधित/ नई मानक मद	विवरण	सम्मिलित पूर्व मानक मद(बजट भैनुअल का परिशिष्ट-7)
01- वेतन	इस मानक मद के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन, (जैसा कि मूल नियम-९ (21) में परिभाषित किया गया है, ), विशेष वेतन सहित/वैयक्तिक वेतन /सेवाकाल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं सरकारी सेवकों को अनुमन्य बोनस सम्मिलित होंगे।	01- वेतन 38- अन्तर्रिम सहायता 51- महंगाई वेतन
02- मजदूरी	इस मानक मद के अन्तर्गत ऐसे श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी/पारिश्रमिक सम्मिलित हैं जिन्हे इस समय आकस्मिक व्यवस्था से भुगतान किया जाता है।	02- मजदूरी 16- व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 03- महंगाई भत्ता
03- महंगाई भत्ता	इस मानक मद के अंतर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता से संबंधित व्यय सम्मिलित होंगे।	04- यात्रा व्यय 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय 45- अवकाश यात्रा व्यय
04- यात्रा व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत ऊँटी पर यात्रा के फलस्वरूप, सभी प्रकार के व्यय, जिनमें वाहन और सड़क भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, स्थानान्तरण यात्रा, सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय यात्रा व्यय सम्मिलित होगा। प्रशिक्षण में गए कार्मिकों का यात्रा भत्ता इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।	43- वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान
05- वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	इस मानक मद सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों को देय वेतन एवं ऐसे समस्त भत्ते जिनका भुगतान वेतन के साथ किया जाता है, शामिल होंगे।	06- अन्य भत्ते
06- अन्य भत्ते	इस मानक मद में नियमित कार्मिकों को वेतन के साथ देय अन्य भत्ते शामिल होंगे।	07- मानदेय
07- मानदेय	इस मानक मद के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों को मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा मनोनीत विभिन्न दर्जाधारी महानुभावों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था सम्मिलित होगी।	नई मानक मद
08- पारिश्रमिक	इस मानक मद के अंतर्गत संविदा/अनुबंध अथवा बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी (जैसे- उपनल/पी०आर०डी०) के माध्यम से नियोजित कार्मिक जिन्हें नियमित/स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित किया गया है। इस पर होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे, बशर्त पूर्व में इन्हें किसी अन्य मानक मद से भुगतान किया जाता रहा हो।	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति
09- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	इस मानक मद के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित व्यय सम्मिलित होंगे।	44- प्रशिक्षण व्यय
10- प्रशिक्षण व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत मानव संसाधन विकास से जुड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए इन्डेव्शन ट्रेनिंग (सेवा में प्रवेश/प्रोन्ल्निंग के समय प्रशिक्षण) रिफेशर ट्रेनिंग (पुनर्जर्या	

	प्रशिक्षण) आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे। प्रशिक्षण से सम्बन्धित यात्रा एवं अन्य व्यय का भुगतान सम्मिलित होगा।	
11— अनुमन्यता संबंधी व्यय	इस मानक मद में नियमित कार्मिकों को अनुकम्पता के आधार पर प्रतिपूर्ति किए जाने वाले सभी भत्ते/व्यय शामिल होंगे, जैसे—वर्दी, कैम्प सहायक, मोबाइल/लैपटॉप/सूटकेस के क्रय पर व्यय तथा न्यायालयिक अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाएं/भत्तों की प्रतिपूर्ति के व्यय।	नई मानक मद
12— पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ	इसमें पेंशन/आनुतोषिक/अंशदायी भविष्य निधियों/पेंशन निधियों के लिए अंशदान सम्मिलित हैं। इसमें समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन दी जाने वाली पेंशन सम्मिलित नहीं है।	33— पेंशन 49— महंगाई पेंशन
13— उपार्जित अवकाश नगदीकरण	इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति कार्मिकों के अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जायेगा।	नई मानक मद
20— लेखन सामग्री एवं छपाई	इस मानक मद के अंतर्गत कार्यालय में उपयोगार्थ फार्माँ की छपाई और अन्य लेखन सामग्री क्रय (कम्प्यूटर स्टेशनरी सहित) की व्यवस्था सम्मिलित होगी। इसके साथ ही साथ प्रिन्टर रिबन, कार्ट्रज आदि पर होने वाला व्यय भी इसमें सम्मिलित होगा।	11— लेखन सामग्री और फार्माँ की छपाई 47— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय
21— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	इस मानक मद के अंतर्गत कार्यालय फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण जैसे फोटो कॉपियर, फैक्स, टेलीविजन, ई.पी.बी. एक्स, (इंटरकॉम), आई.पी. फोन्, वाटर कूलर/आरओ.का क्रय आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं।	12— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण
22— कार्यालय व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिए अपेक्षित आकस्मिक व्यय अर्थात डाक व्यय, सज्जा की खरीद, जनरेटर के डीजल आदि पर व्यय, कार्यालय में स्थापित मशीनों/उपकरणों का अनुरक्षण/वार्षिक अनुरक्षण, से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं। इसके साथ ही साथ अन्तर्विभागीय बैठकों, कानफ्रेंसों आदि में दिए जाने वाले जलपान से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	08— कार्यालय व्यय
23— किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	इस मानक मद के अंतर्गत किराए पर लिए गए भवनों का किराया, स्थानीय निकाय तथा राज्य/केन्द्र सरकर द्वारा उपशुल्क और कर आदि का भुगतान सम्मिलित है। इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय का भुगतान भी सम्मिलित है।	17— किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व
24—विज्ञापन, बिक्री, विद्युत्प्रभार एवं प्रकाशन पर व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत कार्यालय संहिता और नियम संग्रह, अन्य मूल्य सहित और बिना मूल्य लेख्यों के मुद्रण पर होने वाला व्यय एवं अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की छपाई से संबंधित व्यय भी सम्मिलित होगा। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रकाशन पर होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे।	18— प्रकाशन 19— विज्ञापन, बिक्री और विद्युत्प्रभार व्यय
25— उपयोगिता बिलों का भुगतान	इस मानक मद के अंतर्गत सरकारी कार्यालय/कार्यालय भवनों/अतिथि गृहों आदि के विद्युत प्रभार (यू.पी.सी.ए.ल. को देय) जलकर/जल प्रभार तथा सरकारी कार्यालयों एवं सरकार की तरफ से आवासों में लगे टेलीफोन (CUG) आदि	09— विद्युत देय 10— जलकर/जलप्रभार 13— टेलीफोन पर व्यय

	पर होने वाला व्यय, तथा सेल्फूलर फोन, ड्रॉड बैण्ड, लीजड लाईन (इन्टरनेट कनेक्शन) पर अनुमोदित व्यय भी सम्मिलित होगा। इस मानक मद में भुगतान सीधे सेवा प्रदाता को किया जाएगा।	
26- कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर व अनुरक्षण	इस मानक मद के अंतर्गत कम्प्यूटर संबंधी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं पेरीफेरल प्रोजेक्ट, डिस्प्ले पैनल आदि का क्रय व अनुरक्षण/वार्षिक अनुरक्षण सहित व्यय किया जायेगा।	46. कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय
27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	इस मानक मद के अंतर्गत विधिक/विशेषज्ञ सेवा से सम्बन्धित व्यय परामर्शी सेवाओं एवं कन्सलटेंसी से सम्बन्धित व्यय जैसे विधिक, एकाउन्टिंग, आर्कोटेक्ट तथा अन्य विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के गेस्ट स्पीकरों को देय मानदेय से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे। इसके साथ-ही-साथ बाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर ली गयी सेवाओं पर होने वाले व्यय (जैसे- सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अथवा बागवानी सम्बंधी सेवाओं) सम्मिलित होंगे। नोट- आउटसोर्स पर नियोजित कार्मिकों के मानदेय/किराए पर लिए गए अनुबन्धित वाहनों से सम्बन्धित व्यय इस मानक मद से किसी भी दशा में नहीं किए जाएंगे।	16. व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान
28- कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	इस मानक मद के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों/विभिन्न शासकीय अधिकारी/अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ मोटर वाहनों के क्रय की व्यवस्था सम्मिलित है।	14. कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय
29- गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	इस मानक मद के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों/अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ मोटर वाहनों के सम्बन्ध में पेट्रोल/डीजल आदि के क्रय, अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त— (क) शासकीय वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमत्यता के आधार पर किराये पर लिए गए मोटर वाहनों की व्यवस्था पर अनुमोदित व्यय भी इस मद के अंतर्गत सम्मिलित होगा। (ख) विभाग द्वारा आकस्मिकता के आधार पर किराए पर लिए गए वाहनों की व्यवस्था पर अनुमोदित व्यय भी इसमें सम्मिलित होगा।	15. गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद 16. व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान
30- आतिथ्य व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत अनुमत्य आतिथ्य व्यय/मनोरंजन भत्ते सम्मिलित हैं।	22. आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि
31- गुप्त सेवा व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत गुप्त सेवा सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।	23. गुप्त सेवा व्यय
40- मशीन उपकरण, सज्जा और संयंत्र	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शासकीय अधिकारी/चिकित्सकीय अधिकारी/उपकरणों एवं संयंत्र के क्रय एवं उनके अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	40. औष्ठालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा 26. मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र

41- भोजन व्यय	इस मानक मद के अंतर्गत चिकित्सालयों, कारागार / छात्रावासों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	41. भोजन व्यय
42- अन्य विभागीय व्यय	यह अवशिष्ट मद है। इसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय तथा विवेकाधीन कोष से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित कॉन्फ्रेंसेस, प्रदर्शनी/मेला एवं महोत्सव आदि पर होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे।	42. अन्य व्यय
43- औषधि तथा रसायन	इस मानक मद के अंतर्गत चिकित्सालयों/प्रयोगशालाओं आदि के लिये औषधि तथा रसायन से सम्बन्धित समस्त व्यय सम्मिलित होंगे। (जिसमें रई, पट्टी आदि सम्मिलित हैं।)	39. औषधि तथा रसायन
44- सामग्री एवं सम्पूर्ति	इस मानक मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, बीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयों के लिये कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, खनिज अन्वेषण सम्बन्धी सामग्री, पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित है।	31. सामग्री एवं सम्पूर्ति
45- छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्र-वेतन की व्यवस्था।	21. छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन
46-वृक्षारोपण	इस मानक मद के अंतर्गत वन विभाग/उद्यान विभाग द्वारा वृक्षारोपण तथा अनुरक्षण से जुड़े हुये समस्त कार्यकलापों से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	नई मानक मद
50- सब्सिडी	इस मानक मद के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित दी जाने वाली राज संहायता से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	50. सब्सिडी
51- अनुरक्षण	इस मानक मद के अंतर्गत निर्माण कार्य, मशीनों और उपकरणों आदि के अनुरक्षण व्यय को अभिलेखित किया जाता है। इसमें मरम्मत सम्बन्धी व्यय भी सम्मिलित होंगे।	29. अनुरक्षण
52- लघु निर्माण	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों/कार्यालयों में कराए जा रहे पेटीवर्क्स / लघु निर्माण श्रेणी के अन्तर्गत (जिसका निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा) से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	25. लघु निर्माण कार्य
53- वृहद निर्माण	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों/कार्यालयों में कराए जा रहे वृहद निर्माण श्रेणी के अन्तर्गत (जिसका निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा) से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	24. वृहत निर्माण कार्य
54- भूमि क्रय	इस मानक मद के अंतर्गत भूमि का क्रय, भूमि का अधिग्रहण तथा इससे सम्बन्धित मुआवजा (कम्पन्सेसन) आदि से संबंधित व्यय भी सम्मिलित होंगा।	नई मानक मद
55- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इस मानक मद के अंतर्गत पूँजीगत कार्यों एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता सहायक अनुदान के रूप में धनराशि की व्यवस्था को इसके अन्तर्गत	35. पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

	वर्गीकृत किया जाता है।	
56— सहायता अनुदान — सामान्य (गैर वेतन)	इस मानक मद के अंतर्गत मानक मद 55 में परिभाषित सहायता अनुदान को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायता अनुदान तथा समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन दी जाने वाली पेंशन से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं।	20. सहायक अनुदान/अंशदान / राज सहायता
60— निवेश	इस मानक मद के अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाओं/निगमों आदि में अंशपूँजी विनियोजन की व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	30. निवेश/ऋण
61— ऋण	इस मानक मद के अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाओं/निगमों आदि में ऋण दिये जाने की व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	30. निवेश/ऋण
62— ब्याज/लाभांश	इस मानक मद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज का भुगतान से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	32. ब्याज/लाभांश
63— उच्चन्त	इस मानक मद के अंतर्गत उच्चन्त से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	37. उच्चन्त
64— बट्टा खाता/हानियां	इस मानक मद के अंतर्गत वसूल न होने वाले बट्टे खाते में डाले गये ऋण के लिये व्यवस्था। हानियों में व्यापार से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	36. बट्टा खाता/हानियां
65— अवमूल्यन	इस मानक मद के अंतर्गत मूल्यहास से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	34. अवमूल्यन
66— अंतर्लेखा संक्रमण	इस मानक मद के अंतर्गत समेकित निधि से लोक लेखे में व्यवस्थित निधियों तथा कतिपय विशिष्ट मामलों में लोक लेखे से समेकित निधि में संक्रमित/ स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	48. अंतर्लेखा संक्रमण
67— वापसी	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा उनके स्तर से की जा रही वापसी (रिफण्ड) से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	नई मानक मद
68— इंशोरेंस पॉलिसी/प्रीमियम	इस मानक मद के अंतर्गत इंशोरेंस सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	नई मानक मद
69— समनुदेशन (डेबालूशन)	इस मानक मद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य के शुद्ध कर राजस्व रथानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	नई मानक मद

(अमित सिंह नेही)  
सचिव